VISION IAS

www.visionias.in

14 OCT 2021

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1510)

Name of Candidate	RAVI		
Medium Eng./Hindi	Hindi	**Registration Number**	168117
Center	Delhi	**Date**	14/12/2021

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. Highlight the role played by the MPLAD Scheme in creating community assets based on local needs. Also, critically evaluate the recent move to suspend it. **(150 words) 10**

स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में MPLAD योजना द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इसे निलंबित करने के हालिया कदम का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

एक केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना के रूप में MPLAD योजना प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रु का बजट स्थानीय सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रदान करती है।

भूमिका

① 'साक्ष्य आधारित परियोजन' :- सांसद व जिलाधीश स्थानीय स्तर की समस्याओं से वाकिफ होते हैं।

② सामुदायिक स्तर पर कार्य -
उदा०- केरल बाढ़ के दौरान राहुल गांधी द्वारा इस निधि का प्रयोग किया जाना।
- शशि थरूर द्वारा दिव्यांग कल्याण व शिक्षा में निवेश।
- प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में घाटों के निर्माण पर कार्य करना।

③ स्थायी परिसंपत्ति सृजन :- वितरणमूलक योजना के बजाय पूंजीगत परिसंपत्तियों यथा - विद्यालय,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अस्पताल आदि में नियोजन।

निलंबित करना

पक्ष

- कोविड के दौरान धन जरूरतों के मद्देनजर।
- पहले भी फंड का पूर्ण प्रयोग न करना।
- NCRWC ने इसे संघवाद के विरुद्ध बताकर बंद करने की सलाह दी थी।

विपक्ष

- कोविड के दौरान स्थानीय जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक था।
- फंड को पूर्ण करने का संस्थागत तंत्र बनाना चाहिये था न कि बंद करना।
- स्थानीय समस्याओं पर सांसद विवेकाधिकार समाप्त।

आगे की राह :- • निलंबन अल्प समय का होना चाहिये।

- प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र बनाना।
- अपातकालीन आपदा में अपने क्षेत्र से बाहर निवेश करने की मात्रा वृद्धि तथा इसे और प्रभावी बनाया जाये।

अन्तत: सोशल ऑडिट का प्रयोग कर क्रियान्वयन बेहतर किया जा सकता है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Adequately empowering the third tier of Indian federal structure is key to strengthen federalism in India. Analyse. **(150 words) 10**

भारतीय संघीय ढांचे के तृतीय स्तर को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाना, भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने की कुंजी है। विश्लेषण कीजिए।

भारत में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में शासन के तीसरे स्तर का गठन कर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का कार्य किया गया।

तृतीय स्तर व संघवाद — तर्क

(i) संघवाद की मूल प्रवृत्ति शक्तियों का विभाजन है।
(ii) शक्ति प्रत्यायोजन पर बल।
(iii) जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप निचले स्तरों पर निर्णय निर्माण।
(iv) सहायिकता (subsidiary) के सिद्धान्तानुरूप।
(v) चूंकि संघवाद में शासन के प्रत्येक स्तर पर स्वायत्तता होती है, अतः तीसरे स्तर पर भी स्वायत्तता देनी चाहिये।

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तृतीय स्तर के ढांचे को सशक्त बनाना चाहिये।

किस प्रकार बनाया जाये -

(i) राज्यों से अन्तर्राज्यीय परिषद आदि में विचार विमर्श करना।

(ii) नीति आयोग में पंचायत प्रतिनिधि निमंत्रण।

(iii) वित्त आयोग :- स्थानीय स्वशासन हेतु प्रदर्शन आधारित अनुदान दे।

(iv) राज्य सरकार – पर्याप्त हस्तान्तरण करें (शक्ति)
→ कराधार की शक्ति दे।
→ कौशल विकास व जागरूकता सृजन।

(v) 11वीं व 12वीं अनुसूची के स्तर पर कार्य-स्थानान्तरण करना।

इस प्रकार महात्मा गांधी के 'ग्राम-स्वराज' व स्वशासन की भावना प्रेरित होकर उपयुक्त तकनीक-शक्ति-वित्त के द्वारा तृतीय स्तर सशक्तिकरण किया जाना चाहिये।

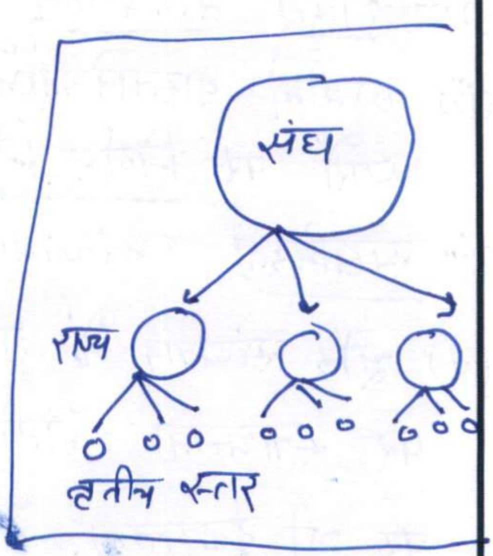

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. To safeguard and uphold the freedom of speech and expression in India, it is imperative to adequately reform colonial laws that curtail free speech. Discuss. **(150 words) 10**

भारत में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और उसे बनाए रखने के लिए, मुक्त वाक् को कम करने वाले औपनिवेशिक कानूनों में पर्याप्त रूप से सुधार करना अनिवार्य है। चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मूल अधिकार के रूप में वाक्- एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार समाहित है-

इस स्वतंत्रता के आयाम	रोकने वाले कानून
1. शांतिपूर्ण बोलने का अधिकार 2. सूचना का अधिकार 3. विरोध का अधिकार 4. असहमति का अधिकार आदि।	- राजद्रोह कानून (IPC) - ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 - इंटरनेट शटडाउन के लिये टेलीग्राफ एक्ट जैसे कानून (19वीं सदी

उपयुक्त कानून व स्वतंत्रता हनन | उदाहरण

(i) राजद्रोह का अर्थ राष्ट्रद्रोह नहीं होता - केदारनाथ वाद 1962, बलवंत सिंह वाद 1995 आदि में न्यायालय की व्याख्या।

(ii) रामलीला मैदान वाद में कहा गया कि विरोध का अधिकार एक मूल अधिकार है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) तत्कालीन राज्य 'पुलिस राज्य' था जबकि अभी 'लोकतांत्रिक व्यवस्था' है।

(iv) असहमति दबाने से यह विरोध व विद्रोह का रूप धारण कर सकती है।

(v) दबाव व्यक्ति में कुंठा की भावना सृजित करता है - सांप्रदायिकता, अलगाववाद प्रसार

सुधार के उपाय - विधि आयोग -2018

(i) राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार किया जाये।

(ii) इंटरनेट शटडाउन आदि पर 'आनुपातिकता सिद्धान्त' का पालन किया जाये।

(iii) पुराने कानूनों को हटाकर वर्तमान ज़रूरतों के अनुरूप कानून सुधार।

अतः लोकतंत्र का अर्थ है - 'पारदर्शिता की संस्कृति' और इस रूप में अभिव्यक्ति को दबाना लोकतंत्र की हत्या है और इस रूप में पर्याप्त उपाय करने चाहिये।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Highlight the role of pressure groups in a democratic country. Also, differentiate between pressure groups in India and developed countries.

(150 words) 10

एक लोकतांत्रिक देश में दबाव समूहों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, भारत और विकसित देशों में दबाव समूहों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

दबाव समूह एक सक्रिय व संगठित समूह होता है जो अपने हितों, सदस्यों व उद्देश्यों की रक्षा के लिये सरकार / संसद / अफसरों पर विविध तरीकों से ~~प्रभावित~~ प्रभाव डालने का प्रयास करता है।

उदा॰ FICCI, CII, किसान संघ आदि।

लोकतांत्रिक देश में भूमिका

(i) राजनीतिक प्रतिनिधित्व :- 'पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी' द्वारा अधिकारों के प्रति जन-जागरूकता फैलाना।

(ii) नीति - निर्माण :- उदा॰ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश नीति भूमिका।

(iii) क्रियान्वयन :- 'राष्ट्रीय बल श्रम परियोजन' क्रियान्वयन में भूमिका।

(iv) सुधार :- ADR का myneta.com जैसे प्लेटफॉर्म - जनहित याचिका का प्रयोग।

(v) शिक्षा :- सदस्यों को संगठित करना

पर्यावरण व विज्ञान केन्द्र (CSE) के अनुसंधान आदि

विकसित देश	भारत
1. औपचारिक व नियमित	1. अनौपचारिक अधिक
2. नीति-निर्माण (विदेश नीति में अधिक भागीदारी)	2. कम भागीदारी
3. संसद को प्रभावित (US).	• भारत व इंग्लैण्ड में कार्यपालिका पर ज्यादा प्रभाव।
4. सुसंगठित व परिपक्व	- केवल FICCI जैसों को छोड़कर अनौपचारिक अधिक।
5. लॉबिंग वैध	→ अवैध

इस प्रकार पश्चिम में ये संगठन अधिक परिष्कृत है। भारत में भी जन-जागरूकता आदि के द्वारा इस स्तर पर प्रयास की ज़रूरत है।

5. The idea that Public Intent Data can play a transformative role in the public sector is not bereft of challenges. Discuss. **(150 words) 10**

यह विचार कि लोक प्रयोजन डेटा (पब्लिक इंटेंट डेटा) सार्वजनिक क्षेत्रक में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है, चुनौतियों से रहित नहीं है। चर्चा कीजिए।

हालिया विश्व बैंक रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव के एक कारक के रूप में 'पब्लिक इंटेंट डेटा' की चर्चा की गई। इस तात्पर्य ऐसे डेटा से है जिसका सार्वजनिक कल्याण में प्रयोग किया जा सके।

परिवर्तनकारी भूमिका के रूप में

- साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में
- जन-जागरूकता सृजन में
- प्रशासन की दक्षता व प्रभावशीलता वृद्धि
- नीति क्रियान्वयन की कमियों पर नज़र रखना
- सटीक सेवा वितरण

उदा० तेलंगाना का भागीरथ मिशन।

प्रसिद्ध इतिहासकार 'युवल नोआह हरारी' ने अपनी पुस्तक 'होमो देउस' में डेटा को नया धर्म

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बताते हुए इसे मानवों के परिवर्तनकारी कारक के रूप में व्याख्यायित किया है।

चुनौतियाँ → विखंडित डेटा प्रणाली।
- → प्रभावी 'डेटा संरक्षण कानून' नहीं'
- → 'डेटा विश्लेषण' की अत्याधुनिक तकनीकों का अभाव
- → कुशल कार्मिकों, तकनीक जानकारी का अभाव।
- → प्रयोग की जागरूकता का अभाव।

अतः उपर्युक्त चुनौतियों की राह को B.N. श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू कर; विभिन्न वैज्ञानिक मिशनों के प्रभावी प्रयोग, कौशल विकास व जन-जागरूकता द्वारा आसान बनाकर काबू पाया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Enumerating the key objectives of the Foreign Contribution Regulation Act, discuss why the recent amendments in the act are seen as a matter of great concern for the development sector in India. **(150 words) 10**

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते हुए, चर्चा कीजिए कि इस अधिनियम में हाल के संशोधनों को भारत में विकास क्षेत्रक के लिए बड़ी चिंता का विषय क्यों माना जा रहा है।

विदेशी अभिदाय अधिनियम भारत में विभिन्न NGO आदि के द्वारा विदेशी दान को विनियमित करना है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

उद्देश्य → (i) विदेशी धन विनियमन।

(ii) यह धन उचित प्रयोजन हेतु उपयुक्त हो।

(iii) यह धन आर्थिक विकास में बाधा न बने।

(iv) यह धन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रयुक्त न हो।

(v) NGO's आदि का संचालन प्रभावी वित्तीय मानकों पर हो।

हालिया संशोधन

(i) लोकसेवक आदि को धन लेने पर रोक।

(ii) मिले धन का केवल 20% प्रशासनिक कार्यों पर।

(iii) Regranting पर रोक।

(iv) धन केवल दिल्ली की स्टेट बैंक शाखा में।

(v) सरकार जाँच की 'समरी ट्रायल' के दौरान

ही NGO's न धन को निलंबित कर सकती है

चिंता के विषय

(i) छोटे NGO पर प्रभाव (Regranting नहीं)

(ii) अनुपालन लागत पर प्रभाव।

(iii) बिना पूर्ण जांच के निलंबन न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ।

(iv) प्रशासनिक कार्यों पर कम व्यय उनकी व्यवहार्यता के खिलाफ है।

कुछ वर्ष पहले CBI की रिपोर्ट में बताया कि 32 लाख NGO में केवल 10% ही वार्षिक रिटर्न दाखिल करते हैं इनकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से GDP को 2-3% हानि हुई है।

आगे की राह (i) अंकेक्षण मानकों में पारदर्शिता हो।

2nd ARC ⇒ इस अधिनियम का विकेन्द्रीकरण हो।

विजय कुमार समिति :- NGO's की सभी जानकारी सार्वजनिक की जाये।

अतः जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इन संगठनों को भी मितव्ययता व पारदर्शिता से कार्य करना चाहिये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The current COVID-19 pandemic has posed a serious threat to the safety and wellbeing of children all over the world. Discuss. Also provide an account of the measures taken by the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) in this regard. **(150 words) 10**

वर्तमान कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में बच्चों की सुरक्षा और कुशलक्षेम के समक्ष एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा किए गए उपायों का विवरण भी प्रदान कीजिए।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार कोविड-19 के कारण 26000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता-पिता में से किसी एक को खोया है (अप्रैल 2020 तक)

बच्चों की सुरक्षा व कल्याण पर प्रभाव

कोविड-19

- अनाथ बच्चे
  - बाल हिंसा
  - बाल अपराध आदि में वृद्धि।
- शिक्षा बंद होना
- स्वास्थ्य पर प्रभाव
- डिजीटल परिवेश में खतरे
  - कॉन्टेक्ट रिस्क
  - कंडक्ट रिस्क
  - कॉन्टेंट रिस्क
- बाल श्रम का बढ़ना ↓ Covid-19 के कारण आजीविका संकट के कारण

इस प्रकार सौदेबाजी क्षमता में कमी, विद्यालय बंदी व कार्यों की बढ़ोतरी ने बच्चों के मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य को

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रयास

(i) **पोर्टल** :- बाल स्वराज पोर्टल - अनाथ व हिंसा से पीड़ित बच्चों की जानकारी।

(ii) डेटा एकत्रण - बाल श्रम व हिंसा पीड़ित

(iii) सरकार को आवश्यक सलाह देना
- बाल कल्याण।
- रक्षोपाय व सहायता हेतु।

(iv) राज्य स्तर पर विजिट व बाल समस्या अवलोकन करना

(v) बचपन बचाओ आंदोलन (कैलाश सत्यार्थी के) '100 मिलियन फॉर 100 मिलियन' जैसे अभियानों में साझेदारी।

अतः बाल कल्याण व सुरक्षा केवल आयोग के स्तर पर नहीं बल्कि केन्द्र, राज्य, जिला व सिविल सोसाइटी - सभी स्तरों पर मिलकर कार्य करना होगा ताकि अनुच्छेद 39 के अनुसार बालकों की 'सुकुमार अवस्था' का दुरुपयोग न हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Various challenges need to be addressed in order to successfully eradicate the menace of bonded labour in India. Discuss. **(150 words) 10**

भारत में बंधुआ श्रम के संकट को सफलतापूर्वक उन्मूलित करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

आर्थिक, सामाजिक या अन्य दबावों में व्यक्ति का जबरन अपने श्रम को गिरवी रखना बलात- या 'बंधुआ श्रम' कहलाता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

(i) प्रभावी डेटा न होना : जनगणना 2011 = 1.35 लाख
. वैश्विक दासता सूचकांक = भारत में 80 लाख

(ii) सामाजिक व जातिगत कारकों पर नियंत्रण नहीं।

(iii) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार जिलाधीशों की बंधुआ मजदूर उत्सादन अधिनियम 1976 के तहत 'समरी ट्रायल' की अपनी शक्तियों की जागरूकता न होना भी प्रमुख चुनौती है।

(iv) प्रभावी पुनर्वास व्यवस्था न होना।

(v) अपराध सिद्धि दर का अत्यन्त कम होना।

(vi) कानूनी पुनर्वास व सहायता राशि का भागों में वितरित करना - आर्थिक कमज़ोरी।

समाधान के स्तर

(1) कानूनी स्तर :- संविधान के अनुच्छेद 23,

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

२५ व बंधुआ मजदूरी अधिनियम का प्रभावी व अक्षरशः क्रियान्वयन।

(ii) सहायता राशि की बड़ी मात्रा दोषसिद्धि से पहले देना।

② क्रियान्वयन → NGO व सिविल समाज का सहयोग करना।

- प्रभावी पुनर्वास हेतु -
  - कौशल विकास करना।
  - खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना।

③ प्रोत्साहक उपाय
- मनरेगा आदि को मजबूत बनाना।
- NFSA - 2013 का प्रभावी क्रियान्वयन।

उपर्युक्त स्तरों के साथ जिला कलेक्टरों, बंधुआ मजदूरों व संपूर्ण समाज को उनके अधिकारों, शक्तियों व कानूनी जागरूकता का फैलाना समय की मांग है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. In the background of the recent military coup in Myanmar, discuss why a stable Myanmar is important for India. **(150 words) 10**

म्यांमार में हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट की पृष्ठभूमि में, चर्चा कीजिए कि क्यों एक स्थिर म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

हाल ही में म्यांमार की सेना जुन्टा (Junta) द्वारा वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ तख्तापलट कर सैन्य शासन की स्थापना कर दी है।

भारत व म्यांमा

भारत पर प्रभाव

① राजनीतिक व कूटनीतिक
- भारत के लिये लोकतंत्र बनाम सहयोग में से चुनने का विकल्प।
- भारत का बहिष्कार - आर्थिक, सुरक्षात्मक हितों पर प्रभाव। (चीन कारक)

② सुरक्षात्मक :- रोहिंग्या पर सेना का अत्याचार
- शरणार्थी संख्या में वृद्धि हो सकती है।
- सहयोग मुश्किल।

③ आर्थिक :- कलादान मल्टीमॉडल, IMT कॉरिडोर जैसी योजनाओं पर प्रभाव।

④ अस्थिर म्यांमर 'आंतरिक सुरक्षा' के स्तर

पर चुनौतियाँ पैदा कर सकता है - पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों की शरणस्थली।

समाधान के उपाय

(i) लोकतंत्र की सैद्धान्तिक सहमति व समर्थन के साथ वर्तमान सरकार के साथ सहयोग बैठाना।

(ii) आर्थिक परियोजनाओं को तीव्र करना।

(iii) बिम्सटेक आदि मंचों पर वार्ता को बढ़ाना।

(iv) 'ऑपरेशन सनराइज' जैसे सहयोगों को और बढ़ाना (पूर्वोत्तर में ~~उग्रवाद~~ उग्रवाद)

(v) P2P संपर्क बढ़ाकर सांस्कृतिक स्तर पर मजबूती - बौद्ध धर्म, पूर्वोत्तर जुड़ाव।

इस स्थिति में भारत के लिये 'रणनीतिक स्वायत्तता' को बनाये रख मुद्दों पर आधारित स्वायत्तता की कूटनीति द्वारा चलाकर लोकतंत्र के प्रयासों को जारी रख अपने हितों के मध्य संतुलन बनाये रखना चाहिये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. In the case of Maldives it's not the size but the location that makes it strategically significant. Explain in the context of India's neighbourhood first approach. **(150 words) 10**

मालदीव के मामले में, आकार नहीं, बल्कि उसकी अवस्थिति उसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। भारत की 'पड़ोसी देश प्रथम' दृष्टिकोण के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।

मालदीव एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी छोर पर हिंद महासागर में अवस्थित है। पड़ोसी प्रथम नीति के उद्देश्यों में यह महत्वपूर्ण है।

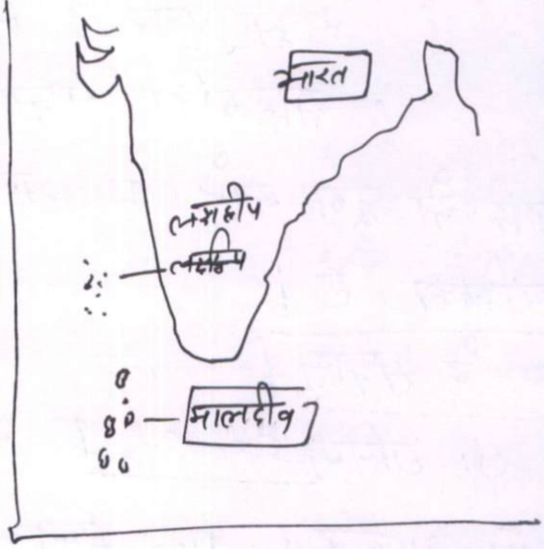

महत्व

(i) हिंद महासागर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण।

(ii) चीन संतुलन - मालदीव-चीन FTA व चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनज़र।

(iii) अवस्थिति में भारत की भूमिका भारत को हिंद महासागर में निवल सुरक्षा प्रदाता में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सकती है।

(iv) आंतरिक सुरक्षा :- मालदीव में बढ़ता चरमपंथ।

(v) हालिया अविश्वास :- मालदीव में भारतीयों (कामगारों) पर उत्पीड़न की घटनाएँ।

(vi) पाकिस्तान का प्रभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के उद्देश्यों -

- पड़ोस में शांति व समृद्धि
- साझा सुरक्षा
- भौगोलिक निकटता के लाभों को उठाकर साझा रणनीति निर्माण
- सांस्कृतिक साझा सहयोग को बढ़ावा

आदि को पूर्ण करने में मालदीव की भूमिका असंदिग्ध है।

भारत के प्रयास

(i) हालिया 50 mn $ का रक्षा समझौता।

(ii) आर्थिक :- ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना।

(iii) सांस्कृतिक छात्रवृत्ति व छात्र आदान-प्रदान।

(iv) चीनी ऋण जाल से निपटने में सहायता।

इस प्रकार दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी क्षमता को बढ़ाने के लिये कई स्तरों पर प्रयास आवश्यक है जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व सुरक्षात्मक स्तर महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. While the judiciary should not be a silent spectator when constitutional rights of citizens are infringed by executive policies, it must also not assume the role of the executive or pass policy prescriptions. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. **(250 words) 15**

जब कार्यकारी नीतियों द्वारा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो तब न्यायपालिका को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए, साथ ही इसे कार्यपालिका की भूमिका भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए अथवा नीतिगत निर्धारण जारी नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने रुख का औचित्य सिद्ध कीजिए।

भारत के ~~संविध~~ संविधान ने न्यायपालिका को संविधान के रक्षक की संज्ञा दी है और अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी सौंपा गया है। इस सन्दर्भ में न्यायालय की भूमिका निम्न प्रकार से निभाई गई है -

(i) मूल अधिकारों की रक्षा :-
- शंकरी प्रसाद मामला।
- केशवानंद भारती मामला।
- पुट्टास्वामी वाद - (निजता का अधिकार)

(ii) सक्रिय होकर जनहित याचिका की अवधारणा का समावेश :-
'हुसैनारा खातून' वाद के परिणामस्वरूप 40000 से अधिक कैदियों की रिहाई हो चुकी है।

(iii) राजनीति को स्वच्छ बनाना :- लोकतंत्र को प्रभावी बनाने में। 'लिली थॉमस वाद'

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रकाश सिंह वाद आदि में न्यायपालिका ने प्रमुख राजनीतिक व पुलिस सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर नागरिक अधिकार रक्षा की है।

उपर्युक्त सारे उदाहरण के बावजूद कई ऐसे उदाहरण है जहाँ न्यायपालिका के कृत्य अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते प्रतीत होते हैं जैसे -

(i) हाइवे पर शराबबंदी करना।
(ii) पटाखों पर बैन लगाना।
(iii) इलाहाबाद हाईकोर्ट का सिविल सेवकों को उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आदेश।

उपर्युक्त सभी आदेशों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जैसे -

(i) लोकतंत्र में नीति निर्माण = कार्यपालिका
विधि निर्माण = विधायिका
(ii) शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का ~~अनुल~~ उल्लंघन)
(iii) न्यायालय जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है।
(iv) न्यायालय के पास कार्यकारी अनुभव

नहीं होता है।

(v) यह प्रवृत्ति पहले से भारित न्यायालयों पर लंबित वादों की संख्या बढ़ाती है।

(vi) 'सरकार की साख' कमज़ोर होती है जो लोकतंत्र हेतु खतरा है।

इस प्रकार न्यायिक सक्रियता व अतिक्रमण एक बेहद महीन रेखा है और न्यायालय को इस रेखा को पार कर 'न्यायिक निरंकुशवाद' में नहीं बदलना चाहिये। इस प्रकार 'न्यायिक संयम' व प्रभावी 'संतुलन व नियंत्रण' सिद्धान्त का प्रयोग करना चाहिये।

12. 'Effective legislatures are measured by their outcomes and not by their output.' Analyze the functioning of the Indian Parliament in this context.

(250 words) 15

'प्रभावी विधान-मंडलों का मापन उनके आउटकम्स (परिणामों) के आधार पर किया जाता है न कि उनके आउटपुट (निर्गत) के आधार पर।' इस संदर्भ में, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए।

भारत में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। इन सबके अतिरिक्त संसद के कार्यों में बहुआयामी परिप्रेक्ष्य विद्यमान है जैसे-

(i) विधायी कार्य :- विधि निर्माण
- प्रस्ताव का निर्माण।

(ii) कार्यकारी पर नियंत्रण
- बजट के द्वारा।
- नियम बनाने की शक्ति देना।
- समिति व्यवस्था - उदा. लोक लेखा समिति।
- अविश्वास प्रस्ताव।

(iii) न्यायिक कार्य :- संसदीय विशेषाधिकार
- राष्ट्रपति महाभियोग।

(iv) निर्वाचनात्मक कार्य :
- अध्यक्ष, समिति अध्यक्षों का निर्वाचन

(v) आपातकालीन कार्य :
राष्ट्रीय आपात आदि को मंजूरी देना।

इस प्रकार संसद की भारतीय

लोकतंत्र में भूमिका सबसे महत्वपूर्ण व केन्द्रमूलक है। किंतु व्यवहार में -

(i) संसद अत्यन्त भारी- भरकम संस्था है।

(ii) विशेषज्ञता का अभाव है-

(iii) सरकार वाले दल का प्रभुत्व है।

उदाहरण

① **संसद की प्रणाली** : अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद अधिवेशन पर कार्यकारी नियंत्रण।

- उपस्थिति की कमी = 1951 = 120 दिन
  अभी = 70 दिन।

- समिति व्यवस्था : विधेयकों का भेजा न जाना।

- 15 वीं लोकसभा = 71% विधेयक भेजे गये।
  16 वीं लोकसभा = 25%

- चर्चा गुणवत्ता में कमी - 76% बजट बिना चर्चा के पास किया गया (2020)

② **प्रत्यायोजित विधान**

अध्यादेश की संख्या = 2019 = 16
2020 = 15

∴ ये संसद के अधिकार को कम करते हैं।

(iii) कार्यकारी पर नियंत्रण :- अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव सरकारी बहुमत के कारण पास होना कठिन।

(iv) प्रभावी विपक्ष का अभाव :- रचनात्मक भूमिका न निभाना।

(v) जनता से प्रभावी चर्चा व सदस्यों में विशेषज्ञता का अभाव।

इस प्रकार विधेयक आदि पारित करने की ऊँची दर व संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद हालिया समय में संसद की प्रभावी भूमिका व चर्चा गुणवत्ता में ह्रास परिलक्षित होता है जिसे उपर्युक्त उपायों द्वारा उपचारित किया जाना चाहिये।

13. Fiscal federalism in India has evolved with time. Discuss in light of the developments in recent years. **(250 words) 15**

भारत में राजकोषीय संघवाद समय के साथ विकसित हुआ है। हाल के वर्षों के घटनाक्रम के आलोक में चर्चा कीजिए।

राजकोषीय संघवाद के तात्पर्य सरकार (संघीय) के सभी अंगों के मध्य राजकोष अर्थात. धन के समुचित वितरण से है ताकि सभी अंग अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके।
उदा॰ वित्त आयोग द्वारा करों का बंटवारा।

विकास के उदाहरण

① वित्त आयोग द्वारा अंतरण वृद्धि
13th FC = 32 %
14th FC = 42 %
15th FC = 41%. (1%. जम्मू कश्मीर हेतु)

② राज्यों द्वारा पंचायतों आदि को भी धन अंतरण बढ़ाया गया है।

③ 'जी. एस. टी. काउंसिल' में सहमति आधारित निर्णय।
- G.S.T. क्षतिपूर्ति सेस का प्रावधान
- काउंसिल में राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व

④ केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं का युक्तिकरण
↳ फ्लैक्सी फंड में

वृद्धि करना।

उपर्युक्त सभी उदाहरण भारत में राजकोषीय संघवाद के विकास को परिलक्षित करते हैं किन्तु हालिया समय में अनेक चुनौतियाँ भी दिखाई दी है।

(i) 15वें वित्त आयोग की संदर्भ-शर्तों के मुद्दे।
- राज्य द्वारा व्यवसाय सुगमता में क्या कार्य किया गया
- जनगणना 2011 का मुद्दा।

(ii) कोरोना काल में जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति का रोका जाना।

(iii) CAG की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कई बार GST अंतरण में देरी की जाती है।

(iv) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में भी-
- केन्द्र की शर्तें लगाने की प्रवृत्ति
- केन्द्र का हिस्सा कम किया जाना।

(v) कोविड के कारण केन्द्र द्वारा राज्यों की उधारी सीमा में वृद्धि 3-5% की

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

गई किंतु इसका 0.5% ही शर्तरहित था। अन्य सभी शर्तयुक्त थे।

इस प्रकार हालिया वर्षों में राजकोषीय संघवाद का विकास हुआ है किन्तु यह निरापद नहीं है।

आगे की राह

(i) अन्तर्राज्यीय परिषद, नीति-आयोग, GST काउंसिल जैसे मंचों का प्रभावी प्रयोग।

(ii) केन्द्र द्वारा समयबद्ध अंतरण सुनिश्चित करना।

(iii) वित्त आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व देना।

इस प्रकार उपयुक्त उपायों द्वारा राजकोषीय स्तर पर भी सहयोग, अभिसरण द्वारा सहकारी संघवाद का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. The Central Bureau of Investigation (CBI) is often cited as an example of the rising politicisation of public institutions. In this context, identify the issues associated with the CBI's functioning. What steps can be taken to address these issues? **(250 words) 15**

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को प्राय: सार्वजनिक संस्थानों के बढ़ते राजनीतिकरण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। इस संदर्भ में, CBI की कार्यप्रणाली से संबद्ध मुद्दों की पहचान कीजिए। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत हालिया समय में कार्मिक मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत सी.बी.आई भारत में केन्द्र की प्रमुख जाँच एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

इसकी कार्यप्रणाली में राजनीतिकरण के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 'पिंजरे में बंद तोते' की संज्ञा दी थी।

मुद्दे	समाधान
① कानूनी – • सांविधिक संस्था नहीं • पृथक सचिवालय का अभाव	• कानूनी दर्जा दिया जाये - पृथक सचिवालय निर्माण।
② कार्मिक • पृथक कैडर का अभाव	2nd ARC – पृथक कैडर स्थापना की जाये।

- प्रतिनियुक्ति पर अत्यधिक निर्भरता

. 2000 तक UPSC द्वारा भर्ती (DSP स्तर तक) – उसे जारी किया जाये।

③ राजनीतिक हस्तक्षेप

- स्वायत्तता का अभाव
- हस्तक्षेप अधिक

- संसद के प्रति जिम्मेदार बनाया जाना चाहिये।

④ जाँच पक्ष

- राज्यों की 'सहमति' का प्रावधान।
- अनुमति मिलने का इंतजार

– 2nd ARC : संपूर्ण देश में न्यायक्षेत्र लाया जाये।

⑤ नियुक्ति – सेवा – शर्तें व पदच्युति

. राजनीति का अत्यधिक प्रभाव।

. लोकपाल अधिनियम के प्रावधानों पर अक्षरशः पालन हो।
- CVC की भांति पद पर शक्तियाँ दी जाये।

⑥ न्यायक्षेत्र

. CVC व लोकपाल में न्यायक्षेत्र संदेह

– संसदीय समिति (2018) ने सुझाव दिया था कि भ्रष्टाचार के मामलों में

में इसे लोकपाल के अन्तर्गत कार्य करना चाहिये।

- साथ ही संपूर्ण अखिल भारतीय सेवाओं तक न्यायक्षेत्र हो।

हालिया समय में राज्यों में विभिन्न घटनाओं में सी.बी.आई जाँच की बढ़ती मांग यह साबित करती है कि सी.बी.आई के पक्ष में 'लोक विश्वास' अब भी बाकी है। उपर्युक्त उपायों द्वारा इसे स्वतंत्र व प्रभावी बनाया जाना चाहिये।

15. The principal constraint for India is trying to find solutions to 21st century problems using 19th century government structures. Discuss.

(250 words) 15

भारत के लिए प्रमुख बाधा 19वीं सदी के सरकारी ढांचे का उपयोग कर 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना है। चर्चा कीजिए।

भारत का सरकारी ढांचा पुरातन व्यवस्था पर आधारित है जिसमें समयानुकूल परिवर्तन का अभाव रहा है। उदाहरण

नौकरशाही
- (1) वेबेरियन मॉडल पर आधारित
- करियर आधारित
- निश्चित सेवा-शर्तें पर पेंशन
- नियम बद्ध।
- तटस्थता व अनामता
- सोपानक्रम आदि।

सरकार → **मंत्रालयी ढांचा**
- स्तरों की अधिक संख्या
- विभागीय व डेस्क प्रणाली।
- स्तरित निर्णय
- कार्यात्मक भिन्नता व विखंडित क्षेत्र

न्यायपालिका
- यहाँ सरकार में शामिल नहीं परन्तु सुधारों की मांग

21वीं सदी में उदारीकरण सुधारों के पश्चात् निम्न प्रकार की समस्याएँ देखने को आती हैं जैसे –

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(i) जटिल समाज व समस्याएँ।

(ii) समस्याओं का बहुआयामी प्रभाव।

(iii) नवउदारवादी नीति निर्माण के क्रम में नीति - निर्माण बहुस्तरीय समन्वय की मांग करता है।

(iv) जनता में जागरूकता ('चॉइस व वॉइस')

(v) समाज में तीव्र परिवर्तन।

(vi) नई तकनीकों का आविर्भाव।

उपर्युक्त संयोजन में समस्याएँ

(i) लोकतंत्र परिवर्तन की मांग करता है जबकि ढांचा यथास्थितिवादी व परिवर्तनविरोधी है।

(ii) शासन में अत्यधिक स्तर, एकीकृत नीति निर्माण का अभाव, दैनंदिन कार्यों पर अनुचित जोर।

(iii) विशेषज्ञ समाज में सामान्यज्ञों द्वारा प्रशासन।

(iv) निजी क्षेत्र व NGO's आदि की भागीदारी को उचित महत्व न मिलना।

(v) जवाबदेही, पारदर्शिता, जन -सहभागिता का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाधान के उपाय

नौकरशाही :- 'न्यू पब्लिक मैनेजमेंट' के तहत 'सरकार की श्रेष्ठता' के बजाय शासन की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाये।

- उपभोक्ता केन्द्रित, प्रदर्शन अनुबंध व उत्तरदायित्व हस्तान्तरण (निजी क्षेत्र, NGO) पर कार्य।
- विशेषज्ञों की भर्ती (लैटरल एंट्री) पर जोर।
- राजनीतिक दबाव कम कर जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाये।

मंत्रालय संरचना - एकीकृत नीति निर्माण हो।

- प्रकार्यों को समूहों की संख्या में बांटा जाये।
- सरकार व विभागों का आकार कम किया जाये।
- मंत्रीमंडलीय सचिव व सचिवों की समन्वयकारी भूमिका।
- विशेषज्ञता व सहभागी नीति निर्माण।

उपर्युक्त स्तरों पर प्रयास आज के समाज की आवश्यकताओं के साथ सरकार के तंत्र का सामंजस्य स्थापित कर सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. How far has the governance in India achieved the twin objectives of transparency and accountability? **(250 words) 15**

भारत में अभिशासन (गवर्नेंस) ने पारदर्शिता और जवाबदेही के दोहरे उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है?

अभिशासन से तात्पर्य व्यापक सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक विकास के उद्देश्य से शासन व प्रशासन में प्राधिकार के अभ्यास से है। हालिया संयुक्त राष्ट्र के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 96/114 है।

भारतीय अभिशासन व पारदर्शिता :- भारत में सरकार व नौकरशाही में गोपनीयता की संस्कृति मौजूद है। इसके अलावा सूचना अधिकार अधिनियम की सीमाएँ व ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे कानून विद्यमान है। फिर भी-

(i) सूचना का अधिकार एक क्रान्तिकारी कदम साबित हुआ है।

(ii) डेटा अभिगम्यता पर राष्ट्रीय नीति (NPDA 2012) की स्थापना करना।

(iii) सर्वोच्च न्यायालय दिशा निर्देश
↳ राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की संपत्ति आदि का वर्णन किया जाना।

(iv) सिटीजन चार्टर जैसी अवधारणा - प्रशासन के उद्देश्यों से अवगत कराना।

(v) विभिन्न सरकारी प्रयास :- डिजीटल इंडिया, PMG दिशा जैसे प्रयास।

चुनौतियाँ :- RTI की धारा - 4 (स्वतः प्रकटन) का प्रयोग न होना।
- विवेकाधीन शक्तियाँ।
- भाषा की समस्या।

अभिशासन व जवाबदेहिता : सुधार

(i) बाह्य स्तर :- सर्वोच्च न्यायालय
- CAG
- लोकपाल, CVC, CBI।

(ii) आंतरिक स्तर = उच्चस्थ द्वारा निगरानी

(iii) जनता स्तर :- मेघालय का सामाजिक अंकेक्षण कानून।
- मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण।
- सिटीजन चार्टर
- सेवोत्तम मॉडल
- राइट टू रिकॉल - हरियाणा में अवधारणा

चुनौतियाँ :- (i) व्यापक राष्ट्रीय कानूनों का अभाव।

(ii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में व्यापक सुधार नहीं।

(iii) राजनीतिक दलों की पारदर्शिता, जवाबदेहिता व लोकतंत्र का अभाव = अपराधीकरण।

(iv) स्तरीय संरचना :- उत्तरदायित्व हस्तान्तरण व अधिक विवेकाधिकार।

आगे की राह — 2nd ARC

(i) राष्ट्र व्यापी सिटीजन चार्टर लाया जाये।

(ii) सेवा आपूर्ति में उत्तरदायित्व हो।

(iii) नागरिक सहभागिता बढ़ाई जाये।

(iv) होता समिति 2004- भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाये। आदि।

अतः मजबूत कानून के शासन पर आधारित, मिनिमम ~~मव~~ सरकार, मैक्सिमम अभिशासन पर आधारित सरकार व सुशासन समय की मांग है।

17. Identify the barriers that exist in the enjoyment of reproductive health rights by women in India. Also highlight the interventions that have been adopted to remove these barriers. **(250 words) 15**

भारत में महिलाओं द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों का उपभोग करने के समक्ष विद्यमान बाधाओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इन बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए हस्तक्षेपों पर भी प्रकाश डालिए।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों से तात्पर्य है - अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, प्रजनन करने या न करने की स्वतंत्रता, सुरक्षित प्रजनन का अधिकार आदि का होना।

महिलाओं के अधिकारों में बाधाएँ

(i) सामाजिक बाधाएँ

↳ पुरुष द्वारा नियंत्रण - NFHS-4 के अनुसार 10% महिलाएँ ही गर्भनिरोधकों के संबंध में स्वयं निर्णय ले पाती हैं।

↳ विवाहोपरांत 'सैक्स' की सामाजिक स्वीकृति। मना करने का अधिकार नहीं।

↳ पुरुष पितृसत्तात्मक समाज में गर्भनिरोधक उपायों को टबू (Taboo) समझा जाता है।

↳ संयुक्त परिवार में 'गोपनीयता' की समस्या।

(ii) आर्थिक बाधाएं → गरीबी → कम जागरूकता

→ अधिक बच्चे पैदा करना।

(iii) स्वास्थ्य पक्ष :- कमज़ोर स्वास्थ्य प्रणाली

IMR = 28/1000, MMR = 122/1 लाख

- इनके कारण महिला के कमज़ोर स्वास्थ्य पर गर्भधारण के बढ़ते दबाव का पता चलता है।

(iv) निचले स्तर पर कम कार्य :- पुरुषों के सामने 'आशा' कार्यकर्त्ताओं से कम संवाद।

(v) प्रजनन व गर्भनिरोधक उपाय महिलाओं तक सीमित होना = 97% (महिलाओं द्वारा)

(vi) अंधविश्वास आदि का होना

किये जा रहे उपाय

1952 = राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम।

1978 = राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

2000 = राष्ट्रीय जनसंख्या नीति।

- मिशन परिवार विकास - देश के 3 ≤ TFR वाले जिलों पर ध्यान।
- नई पहलें :- . सास-बहू सम्मेलन
  . नई पहल।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- तकनीकी नवाचार - अंतरा - इंजेक्शन
  छाया - गोली
  - PIUDD डिवाइस स्थापना।
- पुरुषों में नसबंदी के संबंध में जागरूकता का बढ़ाना।
- 'नियंत्रण आधारित दृष्टिकोण' के बजाय 'अधिकार व कल्याण' आधारित दृष्टिकोण अपनाना।
- अन्य : जननी सुरक्षा कार्यक्रम
  - जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
  - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि

इस प्रकार प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण व हस्तक्षेपों से भारत की TFR 2005 में 2.9 से कम होकर हालिया 2.0 (NFHS-5) पर आ गई है। अभी हस्तक्षेपों को अन्य अधिकारों (प्रजनन स्वास्थ्य) आदि पर बढ़ाना चाहिए।

18. India continues to face the problem of hunger despite adequate food stocks and statutory laws that ensure food security. Discuss and provide solutions to deal with this problem. **(250 words) 15**

पर्याप्त खाद्य भंडार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वैधानिक कानूनों के बावजूद भारत भूख (हंगर) की समस्या का सतत सामना कर रहा है। चर्चा कीजिए एवं इस समस्या से निपटने के लिए समाधान प्रस्तुत कीजिए।

FAO के अनुसार भुखमरी से तात्पर्य है कि जीवन जीने के लिये आवश्यक भोजन की मात्रा का विभिन्न अक्षमताओं के कारण अन्तर्ग्रहण न कर पाना।

भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक = 101/116

प्रमुख कानून व उपाय
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013
- मिड डे मील
- अंत्योदय अन्न योजना
- हरित क्रान्ति
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भुखमरी होने / मौजूद रहने के कारण

I भोजन की अनुपलब्धता
- → अकाल व वर्षा निर्भर खेती
- → भंडारण क्षमता अपर्याप्त।
- → अनाज का गोदामों में सड़ना।

II पोषक भोजन का अभाव
- → न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था - गेहूं व चावल पर फोकस।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भोजन विविधीकरण का अभाव।
- जागरूकता का अभाव।
- तकनीकी हस्तक्षेपों का अभाव।
- खाद्य अपमिश्रण (food Adulteration)
- भ्रामक विज्ञापन
- पश्चिमीकरण - 'मैकडोनाल्डाइजेशन'।

(II) शरीर की पोषक तत्व अन्तर्ग्रहण क्षमता का न होना = 'WASH रणनीति' स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल व स्वास्थ्य पर फोकस नहीं'।

अतः पोषण की समस्या को बहुआयामी रूप में देखने की जरूरत है

समाधान

(i) MSP व्यवस्था को तर्कसंगत बनाना।

(ii) शांता कुमार समिति के सुझावानुरूप 'खाद्य निगम' में सुधार।

(iii) पोषण खाद्य जागरूकता

(iv) PDS तंत्र में लीकेज रोकना - आधार आदि तकनीकी हस्तक्षेप।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. तकनीकी उपाय
- → फोर्टिफाइड फूड
- → नैनो फोर्टिफाइड फूड।
- → बैराप्यूटिक फूड

] पायलट प्रयोग करना।

5. खाद्य अपमिश्रण हेतु खाद्य सुरक्षा व मानक निगम (FSSAI) द्वारा प्रयास करना।

6. ज़मीनी शासन :- आंगनवाड़ी, आशा में कौशल विकास व जागरूकता बढ़ाना।
- महिला जागरूकता 'सामाजिक परिवर्तन' की (कैली)

7. मिड डे मील आदि में दालों, मोटे अनाज आदि का समावेशन।

अंत में असम के बोनगाईगांव के संपूर्णा मॉडल का अनुसरण कर देश में इसी तरह के नवाचार कर 'कुपोषण मुक्त भारत' की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The economic rise of Bangladesh is an opportunity for India and hope for South Asia. Examine. **(250 words) 15**

बांग्लादेश का आर्थिक उदय भारत के लिए एक अवसर और दक्षिण एशिया के लिए आशा है। स्पष्ट कीजिए।

1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भूमिका से ही भारत बांग्लादेश संबंध निरंतर सुदृढ़ होते रहे हैं।

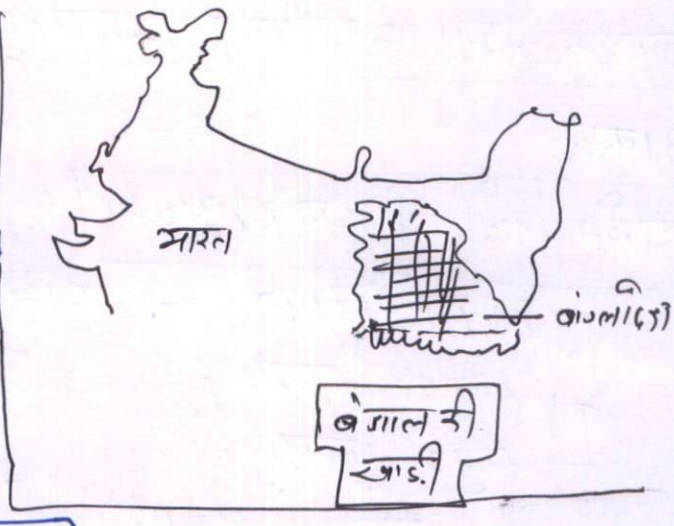

भारत के लिये अवसर

(i) आर्थिक अवसर :- हालिया व्यापार = 10 Bl $ इसकी सामर्थ्य 4 गुणा अधिक तक है।

- परियोजनाओं में भागीदारी
  - रूपपुर परमाणु परियोजना।
  - → अखौरा - अगरतला रेल मार्ग।
  - → सिलीगुड़ी - पारबतीपुर पाइपलाइन।
  - मैत्री पुल आदि।
  - बहरामपुर - भेरामारा ट्रांसमिशन लाइन

FTA का अवसर

(ii) सुरक्षा व रणनीतिक हित

↳ बफर चीन के लिये।

↳ 500 मिलियन $ की LoC —

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बांग्लादेश की रक्षा उपकरण खरीद में

- बांग्लादेश के साथ आतंकवाद, अलगाववाद आदि की साझी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में 'व्यापक रक्षा भागीदारी / सहयोग समझौते' का अवसर

(iv) उभरते क्षेत्रों में सहयोग अवसर
- आपदा प्रबंधन – 'चक्रवात'
- साइबर सुरक्षा
- समुद्री सुरक्षा
- अवसंरचना सुधार

(बिमस्टेक में सहयोग)

अतः इन संबंधों को राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में बढ़ाकर FTA के स्तर पर प्रयास किये जा सकते हैं।

दक्षिण एशिया के लिये आशा के मायने

- बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि दर अधिक
- 2030 तक सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्था में शुमार।
- प्रति व्यक्ति आय भारत के बराबर।

इस प्रकार बांग्लादेश अपनी निम्न रणनीति का प्रसार संपूर्ण दक्षिण एशिया में आशा की भाँति कर सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

रणनीति
- उदार विदेशी निवेश नीति
- मजबूत व्यापार व्यवस्था
- मजबूत माइक्रो-क्रेडिट व्यवस्था
- रोजगार गहन क्षेत्रों (वस्त्र, चमड़ा पर ध्यान)
- स्वयं सहायता समूह प्रणाली
- भारत के साथ मजबूत संबंध स्थापना।

इस प्रकार बांग्लादेश का आर्थिक मॉडल भारतीय अवसरों को मजबूत व दक्षिण एशिया के देशों को सीख दे सकता है जिसे सार्क व बिम्सटेक में सहयोग कर दक्षिण एशिया क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है।

20. Outcome of the Afghan peace process may have serious implications for the wider region. Discuss. **(250 words) 15**

अफगान शांति प्रक्रिया के परिणाम का अपेक्षाकृत व्यापक क्षेत्र के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं। चर्चा कीजिए।

हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान समूहों
द्वारा सत्ता प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)